राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1843/2023

रामनिवास **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–तृतीय), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अधीशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नोहर, हनुमानगढ़।
6. उप कोषाधिकारी, उप कोषालय, नोहर, हनुमानगढ़।
7. अमित चौहान, एमएलए, नोहर, हनुमानगढ़।
8. द्वारका प्रसाद शर्मा, सहायक लेखा अधिकारी, अधीशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नोहर, हनुमानगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.07.2023
आदेश की दिनांक : 25.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी संख्या 5 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2023 को निरस्त करते हुये प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी के दिनांक 06.12.2022 से दिनांक 31.03.2023 तक का वेतन दिलाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का आदेश दिनांक 22.11.2022 के द्वारा सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड द्वितीय से अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खंड नोहर, हनुमानगढ से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीगंगानगर में स्थानान्तरण किया गया था तथा द्वारका प्रसाद शर्मा को अपीलार्थी के स्थान पर समायोजित किया गया था। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.11.2022 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया था। उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 6183/2022 प्रस्तुत की, जिसमें अधिकरण ने दिनांक 02.12.2022 को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.11.2022 तथा कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 23.11.2022 का क्रियान्वयन स्थगित करते हुये स्थगन आदेश जारी किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 06.12.2022 को प्रत्यर्थी संख्या 5 के समक्ष उपस्थित होकर कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी ने दिनांक 07.12.2022 को भी उपस्थिति दर्ज की। परंतु प्रत्यर्थी संख्या 5 ने अपीलार्थी को दिनांक 08.12.2022 से उपस्थित होने के बावजूद उपस्थिति दर्ज नहीं करने दी तथा कार्यग्रहण नहीं करवाया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 03/2023 प्रस्तुत किया, जिसमें अधिकरण ने प्रत्यर्थी विभाग को नोटिस जारी किये, परंतु अधिकरण के स्थगन आदेश की पालना नहीं करने के कारण अधिकरण ने अपीलार्थी के अवमानना संख्या 03/2023 को दिनांक 31.01.2023 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रैफर कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अधिकरण द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र रैफर करने के पश्चात् एस.बी.सिविल कंटेंट पिटिशन संख्या 275/2023 दर्ज हुआ, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.03.2023 को अतिरिक्त महाधिवक्ता को अवमानना प्रार्थना पत्र की नकल दिलाते हुये पालना हेतु 2 दिवस का समय दिया गया, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिनांक 21.03.2023 को अधिकरण के स्थगन आदेश की पालना में कार्यग्रहण करवाया गया। अपीलार्थी लगातार अधिकरण के स्थगन आदेश दिनांक 02.12.2022 की पालना में दिनांक 06.12.2023 से दिनांक 20.03.2023 तक लगातार प्रत्यर्थी संख्या 5 के समक्ष उपस्थित हुआ, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया तथा अपीलार्थी के बिना किसी दोष के तथा बिना अनुपस्थिति के अपीलार्थी को उक्त

अवधि का वेतन का भुगतान नहीं किया तथा अधिकरण के स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद अपीलार्थी का कार्य निजी प्रत्यर्थी संख्या 8 को दिया गया। इसलिये अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष स्थगन आदेश दिनांक 02.12.2022 की पालना में दिनांक 06.12.2022 से लगातार उपस्थित हो रहा था तथा अधिकरण के समक्ष अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, परंतु प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष लगातार उपस्थित होने के बावजूद अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया गया, जिसमें अपीलार्थी का किसी प्रकार का दोष नहीं है। प्रत्यर्थी का उक्त कृत्य मनमाना एवं पक्षपातीपूर्ण है तथा विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी संख्या 5 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2023 को निरस्त करते हुये प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी के दिनांक 06.12.2022 से दिनांक 31.03.2023 तक का वेतन दिलाया जावे।

प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी अधिकरण के आदेश के अनुसार दिनांक 06.12.2022 को उपस्थिति देने के लिये खंडीय कार्यालय में उपस्थित हुआ। किंतु ज्वाईनिंग रिपोर्ट मिथ्या/गलत होने पर उससे सही लिखने के लिये अपीलार्थी को कहा गया। परंतु अपीलार्थी ने इसकी पालना नहीं की और ई–मेल के माध्यम से उपस्थिति भेजता रहा तथा अधिकरण के स्थगन आदेश की पालना में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना प्रार्थना पत्र की पालना में कोष एवं लेखा, जयपुर ने दिनांक 20.03.2023 को कार्यग्रहण करवाने के निर्देश जारी किये गये तथा अपीलार्थी की कार्यशैली एवं व्यवहार सही नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि अधिकरण के स्थगन आदेश दिनांक 02.12.2022 की पालना में दिनांक 06.12.2022 को व दिनांक 07.12.2022 को 2 दिवस तक अपीलार्थी की हाजरी रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करवायी गई। परंतु दिनांक 08.12.2022 को प्रत्यर्थी संख्या 5 के द्वारा मौखिक निर्देश दिया गया कि विभाग एवं वित्त विभाग से जब तक निर्देश नहीं आयेंगे तब तक हस्ताक्षर पंजिका में हस्ताक्षर नहीं किया जावे तथा रोजाना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा उपस्थिति पंजिका को अपने पास रख

लिया। इसलिये अपीलार्थी ने ई–मेल के माध्यम से कार्यग्रहण करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की, जिनकी फोटो प्रति अनुलग्नक–20 तथा 21 है तथा निदेशालय, कोष एवं लेखा विभाग ने दिनांक 06.01.2023 (अनुलग्नक–22) के द्वारा स्थगन आदेश की पालना करने के लिये प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश जारी किये थे, परंतु फिर भी प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया तथा अपीलार्थी लगातार ड्यूटी पर उपस्थित रहा। अपीलार्थी ने अधिकरण के स्थगन आदेश की पालना नहीं करने के कारण अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसको माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रैफर करने के पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को आदेश दिनांक 21.03.2023 को कार्यग्रहण करवाया गया। स्थगन आदेश की पालना में कार्यग्रहण नहीं करवाने की अवधि के संबंध में अधिकरण ने पूर्व में भी अपील संख्या 170/2014 श्रीमती नीता थावानी बनाम चिकित्सा विभाग ने दिनांक 22.06.2015 तथा अपील संख्या 238/2016 दलवीर सिंह बनाम माध्यमिक शिक्षा विभाग ने दिनांक 11.01.2017 एवं अपील संख्या 2100/2015 राजकुमार उपाध्याय बनाम कॉलेज शिक्षा में दिनांक 02.11.2023 को अपील को स्वीकार करते हुये स्थगन आदेश की पालना में उपस्थिति दिनांक से कार्यग्रहण करने की दिनांक को उपस्थित काल मानते हुये वेतन का भुगतान के आदेश दिये हैं। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का आदेश दिनांक 22.11.2022 के द्वारा सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड द्वितीय से अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खंड नोहर, हनुमानगढ से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीगंगानगर में स्थानान्तरण किया गया था। उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 6183/2022 प्रस्तुत की, जिसमें अधिकरण ने दिनांक 02.12.2022 को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.11.2022 तथा कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 23.11.2022 का क्रियान्वयन स्थगित करते हुये स्थगन आदेश जारी किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 06.12.2022 को प्रत्यर्थी संख्या 5 के समक्ष उपस्थित होकर कार्यग्रहण किया। परंतु अधिकरण के आदेश की पालना में कार्यग्रहण पश्चात् अपीलार्थी को वेतन

भुगतान नहीं किये जाने का प्रश्न है, अधिकरण के स्थगन आदेश की पालना नहीं करने के कारण अधिकरण ने अपीलार्थी के अवमानना संख्या 03/2023 को दिनांक 31.01.2023 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रैफर कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अधिकरण द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र रैफर करने के पश्चात् एस.बी.सिविल कंटेंट पिटिशन संख्या 275/2023 दर्ज हुआ, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.03.2023 को अतिरिक्त महाधिवक्ता को अवमानना प्रार्थना पत्र की नकल दिलाते हुये पालना हेतु 2 दिवस का समय दिया गया, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिनांक 21.03.2023 को अधिकरण के स्थगन आदेश की पालना में कार्यग्रहण करवाया गया। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 5 को अधिकरण के आदेशानुसार अपीलार्थी को दिनांक 06.12.2022 को कार्यग्रहण करवाना चाहिये था, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को उपस्थित होने के बावजूद कार्यग्रहण नहीं करवाया। इस प्रकार हम अपीलार्थी की ओर से कार्यग्रहण करने के संबंध में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं पाते हैं और अपीलार्थी अधिकरण के स्थगन आदेश की पालना में कार्यग्रहण दिनांक से वेतन आदि समस्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को दिनांक 06.12.2022 से 20.03.2023 तक की अवधि को उपस्थिति काल मानते हुये उसे समस्त वेतन एवं परिलाभ आदि नियमानुसार प्रदान किये जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष